261

पत्रांक–SPMU/02/2018- 254

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

आर० के० महाजन, भा०प्र०से०
प्रधान सचिव।

सेवा में,

कुलपति/रजिस्ट्रार/प्राचार्य
सभी विश्वविद्यालय/केन्द्रीय विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/सभी संबंधित संस्थान।

पटना, दिनांक : 28/09/18

विषय :– **बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के आवेदन–पत्र के सत्यापन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि बिहार सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के लिए छात्र/छात्राओं को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। शिक्षा ऋण की स्वीकृति से पूर्व छात्र/छात्राओं द्वारा समर्पित तथ्यों को Third Party Verification Agency (TPVA) के माध्यम से सत्यापन कराया जा रहा है।

2 छात्र/छात्राओं को दिया जाने वाला शिक्षण एवं हॉस्टल शुल्क की राशि स्वीकृति के पश्चात् सीधे शैक्षणिक संस्थान के खाते में हस्तांतरित की जाती है।

3 कतिपय मामलों में ऐसी सूचना मिल रही है। कि शैक्षणिक संस्थानों द्वारा सत्यापन कार्य में समुचित सहयोग नहीं किया जा रहा है तथा सत्यापन हेतु अतिरिक्त शुल्क की मांग की जा रही है, जिसे सर्वपक्षीय हित एवं व्यापक दृष्टिकोण से विचारित किए जाने की आवश्यकता है।

4 राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए ऋण की राशि आपके शैक्षणिक संस्थान के खाते में ही जा रही है। ऐसे में आपसे आग्रह एवं अपेक्षा है कि सत्यापन कार्य में सहयोग प्रदान करते हुए सत्यापन हेतु किसी शुल्क का भार अधिरोपित नहीं किया जाए।

विश्वासभाजन

28/9/18

(आर० के० महाजन)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक : SPMU/02/2018 - 254 पटना, दिनांक : 28/09/18

प्रतिलिपि : श्री सिद्धार्थ दहिया, प्रबंध निदेशक, Perigrine Guarding Pvt. Ltd. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/9/18

प्रधान सचिव

338
S. (All Letter 2)

Email- spmu.edn@gmail.com Ph. No.- 0612-2230059

260

ज्ञापांक : SPMU/02/2018 - 254 पटना, दिनांक : 28/09/18

प्रतिलिपि : सचिव, मानव संसाधान विकास मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि अपने अधीनस्था सभी विश्वविद्यालय/केन्द्रीय विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/सभी संबंधित संस्थानों को इस आशय का निदेश निर्गत करने की कृपा की जाए।

28/9/18
प्रधान सचिव

339
S. (All Letter 2)

Email- spmu.edn@gmail.com Ph. No.- 0612-2230059